यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार** के माह **अप्रैल 2019 से मार्च 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.12.2020 से 21.12.2020 तक श्री एस. के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा माह 04/2016 से माह 03/2019 तक की लेखापरीक्षा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री संजय कुमार वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 09.09.2019 से 20.09.2019 तक की गयी थी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

   अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार द्वारा कोटद्वार नगर निगम, दुगड्डा विकास खण्ड, यमकेशवर विकास खण्ड, द्वारिखाल विकास खण्ड, रीखन्णीखाल विकास खण्ड, नैनीडांडा विकास खण्ड, ज़हरीखाल विकास खण्ड क्षेत्र में जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था सुचारु रूप से किए जाने तथा ततसंबंधी अनुश्रवण एवं मरम्मत का कार्य किया जाता है।

   (ii) बजट

   (अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

   (₹ लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (-) बचत (+)	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2017-18	634.29	634.29	995.87	995.87	-	-
2018-19	715.44	715.44	800.70	800.70	-	-
2019-20	805.35	805.35	882.75	882.75	-	-
2020-21 (11/2020 तक)						

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**B**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, उत्तराखंड जल संस्थान, उत्तराखण्ड

⬇

मुख्य महाप्रबन्धक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखंड जल संस्थान, देहरादून

⬇

महाप्रबन्धक, उत्तराखंड जल संस्थान, पौड़ी

⬇

अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, पौड़ी

⬇

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **अगस्त 2019** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र-संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह मार्च 2019 एवं माह..... में की गयी थी।

5. फार्म 51: लागू नहीं।

6. खण्ड के माह 03/2020 तक अवशेष

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : ₹शून्य

(ख) सामग्री क्रय : ₹शून्य

(ग) नगद परिशोधन : ₹शून्य

(घ) निक्षेप : ₹ शून्य

(ङ) भण्डार : ₹ 22052997.07

भाग-II (ब)

प्रस्तर - 1: विभाग की शिथिलता के कारण धनराशि ₹ 1.60 करोड़ की लंबित वसूली न किया जाना

उत्तराखंड जल संस्थान, पेयजल विभाग, नोटिफिकेशन संख्या-1265/उन्तीस(1)/2010 (03 अधि.)/11 दिनांक 28.02.2011 (उत्तर प्रदेश जल संस्थान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975) के अनुसार प्रत्येक बीजक का भुगतान देय तिथि तक किया जाना आवश्यक है, यदि उपभोक्ता द्वारा बीजक प्राप्त होने के 15 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता है तो विच्छेदन की कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार के वर्ष 2019-20 के बकाया/वसूली से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय के इकाई - जलकल, सनेह, रिगड्डी एवं दुगड्डा भावर में कुल 951 उपभोक्ताओं पर मार्च 2020 तक ₹ 20031310/- की वसूली किया जाना शेष था। दिनांक 11.12.2020 तक उपरोक्त में से केवल 470 उपभोक्ताओं से मात्र ₹ 3989072/- की वसूली की गयी थी। विभाग द्वारा मात्र 260 उपभोक्ताओं के खिलाफ वसूली के लिए आर.सी. (R.C.) जारी की गयी थी। इस प्रकार विभाग की शिथिलता के कारण इकाई द्वारा ₹ 16042238/- की धनराशि राजस्व खाते में जमा नहीं की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकणों की पुष्टि करते हुये बताया गया कि नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर - 2: धनराशि ₹ 16.28 लाख की सामग्री का कम पाया जाना।

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि खंड में उपलब्ध स्टॉक का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। यदि स्टॉक में उपलब्ध सामग्री में कोई अंतर पाया जाता है तो यथाशीघ्र उसके समाधान की कार्यवाही की जानी चाहिए।

अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार के वित्तीय वर्ष 2018-19 की बैलेंस शीट में चालू संपत्तियों (Current Assets) के अंतर्गत ₹ 234.28 लाख के स्टोर एवं स्पेयर्स दिखाए गए थे जबकि मार्च 2019 तक खंड के भंडार में अवशेष सामग्रियों (प्रयोज्य एवं निष्प्रयोज्य) का विवरण निम्नवत था:

क्रम संख्या	**विवरण**	**मूल्यांकन (₹ में)**
1	उपभोग योग्य भंडार पाइप एवं स्पेशल (प्रयोज्य)	14462869.20
2	टी एंड पी एवं वाटर मीटर (प्रयोज्य)	1956678.66
3	प्लांट एवं मशीनरी (प्रयोज्य)	1239990.17
4	रसायन आदि (प्रयोज्य)	234018.96
5	सामग्री (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) (प्रयोज्य)	3318394.91
6	सामग्री (विश्व बैंक पोषित योजनाएँ) (प्रयोज्य)	225670.53
7	विविध (निष्प्रयोज्य)	362687.50
	योग -	**21800329.93**

अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, टिहरी द्वारा कोटद्वार के भंडार लेजरों के अवशेषों के सत्यापन में भी खंड के भंडार में मार्च 2019 में ₹ 218.00 लाख की सामग्री (प्रयोज्य एवं निष्प्रयोज्य) उपलब्ध थी। इस प्रकार, खंड के भंडार में सत्यापित सामग्री खंड की बैलेंस शीट में दिखाए गए Stocks and Spares से ₹ 16.28 लाख से कम थी।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में जांच उपरांत अवगत कराया जाएगा।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि खंड द्वारा स्टॉक में कमी की जांच विगत एक वर्ष से भी अधिक समय से नहीं कराई गई थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर - 3: असमायोजित धनराशि ₹ 13.00 लाख।

शासनादेश संख्या 99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03 दिसम्बर 2009 द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों, प्राधिकरण आदि में समेकित निधि से प्राप्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज को राजकोष में लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियाँ 04 –राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ 12 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के अंतर्गत जमा किए जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये गए थे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार के बैंक खातों से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि विभिन्न बैंकों (नैनीताल बैंक, PNB, SBI, BoI, एवं Syndicate Bank) में खोले गए खातों पर कुल धनराशि ₹ 1300582/- ब्याज के रूप में इकाई द्वारा अर्जित की गयी थी, जिसका समायोजन लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2020) तक नहीं किया था जबकि इस संबंध में उपरोक्त शासनादेश द्वारा पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके है।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अर्जित ब्याज की धनराशि पर मुख्यालय से निर्देश प्राप्त कर तद्नुसार यथाशीघ्र कार्यवाही कर ली जाएगी तथा लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2020) तक इकाई को कोई निर्देश प्राप्त नहीं था।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि उक्त शासनादेश दिसम्बर 2009 में ही जारी किया गया था अतः अर्जित ब्याज को इकाई द्वारा शासकीय खाते में जमा किया जाना चाहिए था अथवा इस संबंध में राज्य सरकार/मुख्यालय से निर्देश प्राप्त कर लिए जाने चाहिए थे।

अतः इकाई द्वारा कुल ₹ 13.00 लाख धनराशि के असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरका विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1	19/2010-11	1,2	1	शून्य
2	83/2014-15	शून्य	1,2	शून्य
3	55/2016-17	शून्य	1,2,3,4	शून्य
4	103/2019-20	शून्य	1,2,3,4	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा बताया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ यथाशीघ्र प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून के कार्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   शून्य

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i.	**श्री एल.सी. रमोला**	**अधिशासी अभियंता**	**विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।**

4. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड जल संस्थान, कोटद्वार** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II, कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSU)